



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269651
CG-DL-E-29012026-269651

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

No. 67]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 68(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, वैज्ञानिक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय में वैज्ञानिकों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, वैज्ञानिक, समूह 'क' पद, भर्ती नियम 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव अभिप्रेत है;
(ख) "पद" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक पद अभिप्रेत है;
(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) “योजना” से वैज्ञानिक के लिए संशोधित लचीली पूरक योजना अभिप्रेत है, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.-14017/41/2013- पी.पी.(आर.आर.), तारीख 13 मार्च, 2024 द्वारा जारी किया गया है;

(ड.) “वैज्ञानिक पद” से योजना में यथा उपबंधित पद अभिप्रेत है।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –

(1) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्गीकरण	पद संख्या	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक ‘डी’	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित, अननुसचिवीय	7	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (78800- 209200 रुपये)
2.	वैज्ञानिक ‘ई’	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित, अननुसचिवीय	2	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13 (123100- 215900 रुपये)
3.	वैज्ञानिक ‘एफ’	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित, अननुसचिवीय	2	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13ए (131100- 216600 रुपये)
4.	वैज्ञानिक ‘जी’	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित, अननुसचिवीय	3	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 14 (144200- 218200 रुपये)

टिप्पण (1): प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों को सर्वप्रथम उस फीडर श्रेणी के वैज्ञानिकों से भरा जाएगा जिन्हें योजना के अंतर्गत अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति हेतु अनुशंसित किया गया है। यदि योजना के अंतर्गत अगली श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचारार्थ अनुशंसित वैज्ञानिकों की संख्या पदोन्नति श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो उस सीमा तक पदों को स्वतः पदोन्नति श्रेणी में उन्नत माना जाएगा, इस शर्त के अधीन कि सभी श्रेणियों की संयुक्त स्वीकृत पदसंख्या यथावत बनी रहेगी।

टिप्पण (2): त्यागजन्य रिक्तियों को सामान्यतः संबंधित वैज्ञानिक अथवा तकनीकी श्रेणी के प्रविष्टि स्तर में ही प्रत्यावर्तित किया जाएगा। प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने पर, इन रिक्तियों में से कुछ को प्रविष्टि स्तर से उच्चतर पदों पर, रिक्ति के स्तर के अनुसार तथा अभ्यर्थियों की उच्चतर शैक्षणिक योग्यताओं एवं कौशल के अनुरूप, भर्ती नियमों में विहित भर्ती पद्धति द्वारा भरा जा सकता है, बशर्ते कि समस्त श्रेणियों की संयुक्त स्वीकृत पदसंख्या यथावत बनी रहेगी।

4. भर्ती की पद्धति- (1) वैज्ञानिक ‘डी’ पदों पर भर्ती या तो सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा की जाएगी, जैसा कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है।

(2) वैज्ञानिक ‘ई’ से लेकर वैज्ञानिक ‘जी’ तक के पदों पर भर्ती या तो योजना के अंतर्गत पदोन्नति अथवा उन्नयन द्वारा अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा की जाएगी, जैसा कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है।

(3) इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा।

(4) प्रत्येक पद अथवा प्रत्येक मामले में भर्ती की विधि समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(5) विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की उपलब्धता और किसी विशिष्ट क्षेत्र में वैज्ञानिकों की उत्तरभावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पद अथवा प्रत्येक मामले में आवश्यक शैक्षिक अर्हता और अनुभव की विशिष्ट विधा अथवा क्षेत्र का विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

5. पदोन्नति अथवा उन्नयन- (1) योजना के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों की पदोन्नति अथवा उन्नयन वैज्ञानिक 'ई' से लेकर वैज्ञानिक 'जी' तक की श्रेणी में किया जाएगा।

(2) योजना के अधीन स्तर-1 और स्तर-2 की छानबीन हेतु यथास्थिति, आंतरिक छानबीन समिति तथा निर्धारण बोर्ड अथवा विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति, का गठन अनुसूची- II में यथाविहित के अनुसार होगा।

6. वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन और वार्षिक कार्य प्रतिवेदन- योजना में प्रदत्त प्ररूप के अनुसार वार्षिक कार्य प्रतिवेदन और वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रपत्र को आज्ञापक रूप से वैज्ञानिकों द्वारा प्रत्येक वर्ष भरा जाएगा।

7. परीक्षा- (1) सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त प्रत्येक वैज्ञानिक एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा:

परंतु संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार, परीक्षा अवधि का विस्तार कर सकता है।

(2) विभागीय पुष्टि समिति द्वारा परीक्षा पर नियुक्त वैज्ञानिक की पुष्टि पर विचार किया जाएगा, जो नियम 8 में विनिर्दिष्ट है।

8. पुष्टि – विभागीय पुष्टि समिति की अनुशंसा पर, केंद्रीय सरकार द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक की पुष्टि की जाएगी, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(क) वैज्ञानिक 'डी', 'ई' और 'एफ' के लिए –

1.	नियंत्रक प्राधिकारी	अध्यक्ष;
2.	भारत सरकार के वैज्ञानिक मंत्रालयों अथवा विभागों से संयुक्त सचिव स्तर के दो सदस्य	सदस्यगण ।

(ख) वैज्ञानिक 'जी' के लिए –

1.	नियंत्रक प्राधिकारी	अध्यक्ष;
2.	भारत सरकार के वैज्ञानिक मंत्रालयों अथवा विभागों से अपर सचिव स्तर के दो सदस्य	सदस्यगण ।

9. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. शिथिल करने की शक्ति— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची- I

[नियम 4 देखें]

वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'जी' तक के पदों पर भर्ती

1. (अ) सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक 'डी' के पद पर नियुक्ति -

(क) आवश्यक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा भेषजिक विज्ञान में स्नातक उपाधि (न्यूनतम चार वर्ष का पाठ्यक्रम);

(ii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संगठनों में अथवा औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास कार्य में अथवा दोनों में आठ वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में विद्या वाचस्पति उपाधि या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा औषधि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।

टिप्पण 1: आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में विशिष्ट विषय को उपदर्शित किया जाएगा।

टिप्पण 2: न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में व्यतीत अवधि की गणना अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 3: विद्या वाचस्पति की उपाधि की पूर्णता की शर्त के अधीन विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र से प्रमाणित होने पर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आवश्यक योग्यता के क्षेत्र में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत अधिकतम दो वर्ष तक अवधि, की गणना अनुभव में की जाएगी।

टिप्पण 4: विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त न होने की स्थिति में, विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने हेतु व्यतीत अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 5: पूर्णकालिक नियोजन (नियमित अथवा संविदात्मक) के मामलों में, यदि उक्त नियोजन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो और वही अवधि विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने की अवधि के साथ मेल खाती हो, तो अनुभव की गणना केवल नियोजन अवधि के लिए की जाएगी, न कि विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए।

(आ) वैज्ञानिक 'डी' के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भर्ती-

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम, अथवा विश्वविद्यालय, अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था, अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के ऐसे वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद्-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 (67700-208700 रुपये) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो सीधी भर्ती हेतु उप-अनुच्छेद (अ) के अधीन विहित आवश्यक और वांछनीय अर्हताएं रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. (अ) सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक 'ई' के पद पर नियुक्ति -

(क) आवश्यक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा भेषजिक विज्ञान में स्नातक उपाधि (न्यूनतम चार वर्ष का पाठ्यक्रम);

(ii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संगठनों में अथवा औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास कार्य में अथवा दोनों में ग्यारह वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में विद्या वाचस्पति संबंधी अनुसंधान या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा औषधि विज्ञान में विद्या वाचस्पति की उपाधि।

टिप्पण 1: आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में विशिष्ट विषय को उपदर्शित किया जाएगा।

टिप्पण 2: न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में व्यतीत अवधि की गणना अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 3: विद्या वाचस्पति की उपाधि की पूर्णता की शर्त के अधीन विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र से प्रमाणित होने पर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आवश्यक योग्यता के क्षेत्र में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत अधिकतम दो वर्ष तक अवधि, की गणना अनुभव में की जाएगी।

टिप्पण 4: विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त न होने की स्थिति में, विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने हेतु व्यतीत अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 5: पूर्णकालिक नियोजन (नियमित अथवा संविदात्मक) के मामलों में, यदि उक्त नियोजन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो और वही अवधि विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने की अवधि के साथ मेल खाती हो, तो अनुभव की गणना केवल नियोजन अवधि के लिए की जाएगी, न कि विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए।

(आ) वैज्ञानिक 'ई' के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भर्ती-

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम, अथवा विश्वविद्यालय, अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था, अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद्-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (78800-209200 रुपये) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो सीधी भर्ती हेतु उप-अनुच्छेद (अ) के अधीन विहित आवश्यक और वांछनीय अर्हताएं रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. (अ) सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर नियुक्ति -

(क) आवश्यक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा भेषजिक विज्ञान में स्नातक उपाधि (न्यूनतम चार वर्ष का पाठ्यक्रम);

(ii) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय संगठनों में अथवा औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास कार्य में अथवा दोनों में सोलह वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की योजना, विकास एवं समन्वय अथवा नीतिगत पहल अथवा विनिर्मिति अथवा दोनों में प्रबंधकीय क्षमता में होना आवश्यक होगा।।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में विद्या वाचस्पति संबंधी अनुसंधान या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा औषधि विज्ञान में विद्या वाचस्पति की उपाधि।

टिप्पण 1: आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में विशिष्ट विषय को उपदर्शित किया जाएगा।

टिप्पण 2: न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में व्यतीत अवधि की गणना अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 3: विद्या वाचस्पति की उपाधि की पूर्णता की शर्त के अधीन विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र से प्रमाणित होने पर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आवश्यक योग्यता के क्षेत्र में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत अधिकतम दो वर्ष तक अवधि, की गणना अनुभव में की जाएगी।

टिप्पण 4: विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त न होने की स्थिति में, विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने हेतु व्यतीत अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 5: पूर्णकालिक नियोजन (नियमित अथवा संविदात्मक) के मामलों में, यदि उक्त नियोजन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो और वही अवधि विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने की अवधि के साथ मेल खाती हो, तो अनुभव की गणना केवल नियोजन अवधि के लिए की जाएगी, न कि विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए।

(आ) वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भर्ती-

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम, अथवा विश्वविद्यालय, अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था, अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के ऐसे वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद्-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13 (123100-215900 रुपये) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो सीधी भर्ती हेतु उप-अनुच्छेद (अ) के अधीन विहित आवश्यक और वांछनीय अर्हताएं रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. (अ) सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक 'जी' के पद पर नियुक्ति –

(क) आवश्यक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा भेषजिक विज्ञान में स्नातक उपाधि (न्यूनतम चार वर्ष का पाठ्यक्रम);

(ii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संगठनों में अथवा औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास कार्य में अथवा दोनों में इक्कीस वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव निम्नलिखित में होना आवश्यक होगा-

- (I) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशासन, योजना, विकास अथवा समन्वयन;
- (II) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा के अंतर्गत व्यापक कार्यक्रमों का रूपांकन, प्रबंधन एवं निर्देशन;
- (III) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु नीतिगत पहलों का प्रमाणित अभिलेख रखना;
- (IV) किसी दल के नेतृत्व का का प्रमाणित अभिलेख।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक अथवा रासायनिक अथवा जैविक अथवा भू-वायुमंडलीय अथवा पर्यावरणीय अथवा गणितीय अथवा संगणनात्मक एवं सूचना अथवा कृषि विज्ञान में परा विद्या वाचस्पति संबंधी अनुसंधान या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा औषधि विज्ञान में विद्या वाचस्पति की उपाधि।

टिप्पण 1: आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में विशिष्ट विषय को उपदर्शित किया जाएगा।

टिप्पण 2: न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में व्यतीत अवधि की गणना अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 3: विद्या वाचस्पति की उपाधि की पूर्णता की शर्त के अधीन विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र से प्रमाणित होने पर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आवश्यक योग्यता के क्षेत्र में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत अधिकतम दो वर्ष तक अवधि, की गणना अनुभव में की जाएगी।

टिप्पण 4: विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त न होने की स्थिति में, विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने हेतु व्यतीत अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए अनुभव में नहीं की जाएगी।

टिप्पण 5: पूर्णकालिक नियोजन (नियमित अथवा संविदात्मक) के मामलों में, यदि उक्त नियोजन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो और वही अवधि विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने की अवधि के साथ मेल खाती हो, तो अनुभव की गणना केवल नियोजन अवधि के लिए की जाएगी, न कि विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए।

(आ) वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भर्ती-

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम, अथवा विश्वविद्यालय, अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था, अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के ऐसे वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद्-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13ए (131100-216600 रुपये) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो सीधी भर्ती हेतु उप-अनुच्छेद (अ) के अधीन विहित आवश्यक और वांछनीय अर्हताएं रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अठ्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. सीधी भर्ती हेतु प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए आयु-सीमा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, अर्थात्-

सारणी

क्रम संख्या	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा (विभागीय अभ्यर्थियों को छोड़कर) से अनधिक होगी
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'डी'	40 वर्ष;
2.	वैज्ञानिक 'ई'	45 वर्ष;
3.	वैज्ञानिक 'एफ'	50 वर्ष;
4.	वैज्ञानिक 'जी'	50 वर्ष;

टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी, (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उप-मंडल, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन जमा करने हेतु विहित अंतिम तारीख ।)

6. सभी पदों के लिए छानबीन एवं चयन प्रक्रिया [सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) दोनों पर लागू]

समितियों की संरचना:

क्रम संख्या	पद	छानबीन- सह – लघु सूचीयन समिति	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वैज्ञानिक 'डी'	<p>1. ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव अथवा वैज्ञानिक 'जी' से अन्यून पद पर हो- अध्यक्ष;</p> <p>2. परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी का नामनिर्देशिती- सदस्य;</p> <p>3. प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला अधिकारी जो स्तर-14 से अन्यून पद पर हो- सदस्य।</p>	<p>1. नियंत्रक प्राधिकारी- अध्यक्ष;</p> <p>2. दो बाह्य विशेषज्ञ, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर हों और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती हों- सदस्य;</p> <p>3. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक 'जी'- सदस्य।</p>
2.	वैज्ञानिक 'ई'	<p>1. ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव अथवा वैज्ञानिक 'जी' से अन्यून पद पर हो- अध्यक्ष;</p> <p>2. परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी का नामनिर्देशिती- सदस्य;</p> <p>3. प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला अधिकारी जो स्तर-14 से अन्यून पद पर हो- सदस्य।</p>	<p>1. नियंत्रक प्राधिकारी- अध्यक्ष;</p> <p>2. दो बाह्य विशेषज्ञ, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर हों और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती हों- सदस्य;</p> <p>3. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक 'जी'- सदस्य।</p>
3.	वैज्ञानिक 'एफ'	<p>1. ऐसा वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'जी' से अन्यून पद पर हो- अध्यक्ष;</p> <p>2. परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी का नामनिर्देशिती- सदस्य;</p> <p>3. नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले नामनिर्देशिती अधिकारी जो स्तर-14 से अन्यून पद पर हो- सदस्य।</p>	<p>1. नियंत्रक प्राधिकारी- अध्यक्ष;</p> <p>2. अन्य वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव (या उनके प्रतिनिधि, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर हों) और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती हों- सदस्य;</p> <p>3. नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती दो प्रख्यात वैज्ञानिक जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर हों और वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों- सदस्य।</p>
4.	वैज्ञानिक 'जी'	<p>1. ऐसा वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' से अन्यून पद पर हो- अध्यक्ष;</p>	<p>1. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार- अध्यक्ष;</p> <p>2. नियंत्रक प्राधिकारी- सदस्य;</p>

	<p>2. परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक 'एच' अथवा उच्च श्रेणी का नामनिर्देशिती- सदस्य;</p> <p>3. नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती अधिकारी जो स्तर-14 से उच्च पद पर हो- सदस्य।</p>	<p>3. नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती अन्य वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव- सदस्य;</p> <p>4. नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती प्रख्यात वैज्ञानिक जो भारत सरकार में अपर सचिव से अन्यून पद पर हो तथा वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों- सदस्य।</p>
--	---	--

अनुसूची- II

[नियम 5(2) देखें]

अ. आंतरिक छानबीन समिति की संरचना:

क्रम संख्या	पद	आंतरिक छानबीन समिति की संरचना
1.	वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'ई' के पद पर पदोन्नति हेतु	ऐसा अधिकारी जो वैज्ञानिक 'जी' अथवा भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर हो- अध्यक्ष ;
		परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी का नामनिर्देशिती- सदस्य ;
		प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला अधिकारी जो स्तर-14 से अन्यून पद पर हो- सदस्य ।
2.	वैज्ञानिक 'ई' से वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर पदोन्नति हेतु	ऐसा वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'जी' से अन्यून पद पर हो- अध्यक्ष ;
		परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी का नामनिर्देशिती- सदस्य ;
		नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला नामनिर्देशिती अधिकारी जो स्तर-14 से अन्यून पद पर हो- सदस्य ।
3.	वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी' के पद पर पदोन्नति हेतु	ऐसा वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' से अन्यून पद पर हो- अध्यक्ष ;
		परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक 'एच' अथवा इससे ऊपर श्रेणी का नामनिर्देशिती- सदस्य ;
		नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती अधिकारी जो स्तर-15 से अन्यून पद पर हो- सदस्य ।

आ. निर्धारण बोर्ड की संरचना:

क्रम संख्या	पद	निर्धारण बोर्ड की संरचना
1.	वैज्ञानिक 'ई' के पदों पर पदोन्नति हेतु	नियंत्रक प्राधिकारी- अध्यक्ष ;
		नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती दो बाह्य विशेषज्ञ अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर हों - सदस्यगण ;

		वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रख्यात वैज्ञानिक, जो 'वैज्ञानिक- एफ' अथवा उससे उच्च पद पर हों, जिन्हें नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती किया जाएगा – सदस्यगण।
--	--	--

इ. विभागीय समकक्ष पुनर्विलोकन समिति की संरचना:

क्रम संख्या	पद	विभागीय समकक्ष पुनर्विलोकन समिति की संरचना
1.	वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर पदोन्नति हेतु	नियंत्रक प्राधिकारी- अध्यक्ष;
		अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों अथवा विभागों के दो सचिव, अथवा उनके प्रतिनिधि, जो उस पद से न्यूनतम एक स्तर उच्च पद धारित करते हों, जिस पर योजना के अधीन पदोन्नति अथवा उन्नयन किया जाना है- सदस्यगण;
		वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रख्यात वैज्ञानिक, जो 'वैज्ञानिक-जी' अथवा उससे उच्च पद पर हों, जिन्हें नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती किया जाएगा – सदस्यगण;
		कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर हो - सदस्य;
2.*	वैज्ञानिक 'जी' के पद पर पदोन्नति हेतु	भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार - अध्यक्ष;
		नियंत्रक प्राधिकारी- सदस्य;
		अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों अथवा विभागों के दो सचिव – सदस्यगण;
		वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रख्यात वैज्ञानिक, जो 'वैज्ञानिक-एच' अथवा उससे उच्च पद पर हों, जिन्हें नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशिती किया जाएगा – सदस्यगण;
		कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि, जो भारत सरकार में अपर सचिव के पद पर हो - सदस्य।

* मूल्यांकन मानकों और आंतरिक छानबीन समिति [नियम 5(2)] की सिफारिश के आधार पर, विभागीय समकक्ष पुनर्विलोकन समिति द्वारा सभी स्तरों पर अधिकतम दस प्रतिशत वैज्ञानिकों को निवास अवधि में शिथिलता प्रदान की जा सकती है; ऐसी शिथिलता किसी एक अवसर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उनके संपूर्ण सेवा-काल में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित रहेगी।

[मि. सं. A-12018/1/2025-ADMN]

डॉ. प्रीति बाँझल, वैज्ञानिक 'जी'

OFFICE OF THE PRINCIPAL SCIENTIFIC ADVISER TO THE GOVERNMENT OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India, Scientists, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Scientists in the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules shall be called the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India, Scientists, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Controlling Authority" means the Scientific Secretary, in the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India;
 - (b) "Post" means a post of Scientist as specified in rule 3;
 - (c) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
 - (d) "Scheme" means the Revised Flexible Complementing Scheme for Scientist as issued by the Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. AB-14017/41/2013-PP(RR), dated the 13th March, 2024;
 - (e) "Scientific Post" means a post as provided in the Scheme.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**- (1) The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the following Table, namely:-

Table

Sl. No.	Name of post.	Classification.	Number of posts.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist 'D'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	7	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).
2.	Scientist 'E'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	2	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).
3.	Scientist 'F'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	2	Level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600)
4.	Scientist 'G'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	3	Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200).

Note (1): The vacancies in each grade shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same.

Note (2): Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category. Based on functional needs and with the approval of competent authority, some of these vacancies may be filled by the method of recruitment prescribed in the Recruitment Rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

4. **Method of recruitment.** - (1) The recruitment for posts of Scientists 'D' shall be made either by direct recruitment or deputation (including short-term contract) as specified in **Schedule-I**.

(2) The recruitment for posts of Scientists 'E' upto Scientists 'G' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short-term contract) as specified in **Schedule-I**.

(3) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission.

(4) The method of recruitment for each post or in each case shall be decided by the Central Government from time-to-time.

(5) Particular discipline or field of essential educational qualification and experience for each post or in each case shall be decided by the Central Government, keeping in view the availability of Scientists in different fields and the further requirement of Scientists in a particular field.

5. **Promotion or upgradation.** - (1) Promotion or upgradation of Scientist to the grade of Scientist 'E' upto Scientist 'G' shall be as specified under the Scheme.

(2) The composition of the Internal Screening Committee and the Assessment Board or the Departmental Peer Review Committee, as the case may be, for Level-1 and Level-2 Screening under the Scheme shall be as prescribed in **Schedule – II**.

6. **Annual Performance Appraisal Reports and Annual Work Reports.** – The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

7. **Probation.** – (1) Every Scientist appointed on direct recruitment basis shall be on probation for a period of one year:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(2) The confirmation of the Scientist appointed on probation shall be considered by the Departmental Confirmation Committee, specified in rule 8.

8. **Confirmation.** - Confirmation of a Scientist appointed through direct recruitment shall be done by the Central Government on the recommendations of a Departmental Confirmation Committee, the composition of which shall be as follows, namely:-

(a) For Scientists 'D', 'E', and 'F' -

1.	Controlling Authority	Chairperson;
2.	Two Members of the level of Joint Secretary to the Government of India from Scientific Ministries or Departments	Members.

(b) For Scientist 'G' -

1.	Controlling Authority	Chairperson;
2.	Two Members of the level of Additional Secretary to the Government of India from Scientific Ministries or Departments	Members.

9. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Department of Personnel and Training, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

11. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time-to-time, in this regard.

SCHEDULE – I*[See rule 4]***Recruitment to the posts of Scientist 'D' to Scientist 'G'****1. (A) Recruitment for the post of Scientist 'D' on direct recruitment basis.-****(a) Essential Qualifications:**

- (i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences from a recognised University or Institute;

Or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four year degree course) from a recognised University or Institute;

- (ii) Experience of eight years in scientific and technological organisations or research and development in industrial and academic institutions or both.

(b) Desirable Qualifications:

Doctorate Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences Medicine from a recognised University or Institute.

Note 1: Specific subject shall be indicated in the advertisement at the time of invitation for applications.

Note 2: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience.

Note 3: Period spent on obtaining Doctorate Degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or Institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the Doctorate Degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience.

Note 4: The period spent on pursuing Doctorate Degree shall not count towards experience for any purpose, if the Doctorate Degree has not been awarded.

Note 5: In cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining Doctorate Degree, experience shall be counted only for the employment period and not for the Doctorate Degree.

(B) Recruitment for the post of Scientist 'D' by deputation (including short-term contract). -

Scientists or Technologists of the Central Government or State Governments or Union territories or Central Government or State Government Undertakings or University or Recognised Research Institution or statutory or autonomous organisation,-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with four years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700/-) or equivalent; and

- (b) possessing the essential and desirable qualifications prescribed for direct recruits prescribed under sub-paragraph (A).

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years.

Note 2: Deputationists shall not be eligible for consideration for promotion.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

2. (A) Recruitment for the post of Scientist 'E' on direct recruitment basis. –**(a) Essential Qualifications:**

- (i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences from a recognised University or Institute;

Or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum 4 year degree course) from a recognised University or Institute;

- (ii) experience of eleven years in Science and Technology organisations or Research and Development in Industrial and Academic Institutions or both.

(b) Desirable Qualifications:

Doctorate research in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or Doctorate Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences Medicine from a recognised University or Institute.

Note 1: Specific subject shall be indicated in the advertisement at the time of invitation for applications.

Note 2: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience.

Note 3: Period spent on obtaining Doctorate Degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or Institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the Doctorate Degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience.

Note 4: The period spent on pursuing Doctorate Degree shall not count towards experience for any purpose, if the Doctorate Degree has not been awarded.

Note 5: In cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining Doctorate Degree, experience shall be counted only for the employment period and not for the Doctorate Degree.

(B) Recruitment for the post of Scientist 'E' by deputation (including short-term contract). -

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Union territories or Central Government or State Government Undertakings or University or Recognised Research Institution or statutory or autonomous organisations,-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
 (ii) with four years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200/-) or equivalent; and
 (b) possessing the essential and desirable qualifications prescribed for direct recruits prescribed under sub-paragraph (A).

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for promotion.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

3. (A) Recruitment for the post of Scientist 'F' on direct recruitment basis. -

(a) Essential Qualifications:

- (i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences from a recognised University or Institute;

Or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum 4 year degree course) from a recognised University or Institute;

- (ii) experience of sixteen years in science and technology organisations or research and development in industrial and academic institutions or both, out of which at least six years should be in a managerial capacity for science and technology programme planning, development and coordination, or policy initiatives or formulation or both.

(b) Desirable Qualifications:

Doctorate research in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or Doctorate Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences Medicine from a recognised University or Institute.

Note 1: Specific subject shall be indicated in the advertisement at the time of invitation for applications.

Note 2: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience.

Note 3: Period spent on obtaining Doctorate Degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or Institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the Doctorate Degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience.

Note 4: The period spent on pursuing Doctorate Degree shall not count towards experience for any purpose, if the Doctorate Degree has not been awarded.

Note 5: In cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining Doctorate Degree, experience shall be counted only for the employment period and not for the Doctorate Degree.

(B) Recruitment for the post of Scientist 'F' by deputation (including short-term contract). -

Scientists or Technologists of the Central Government or State Governments or Union territories or Central Government or State Government Undertakings or University or Recognised Research Institution or statutory or autonomous organisation,-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900/-) or equivalent; and
- (b) possessing the essential and desirable qualifications prescribed for direct recruits prescribed under sub-paragraph (A).

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for promotion.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

4. (A) Recruitment for the post of Scientist 'G' on direct recruitment basis. -**(a) Essential Qualifications:**

- (i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences from a recognised University or Institute;

Or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum 4 year degree course) from a recognised University or Institute;

- (ii) experience of twenty one years in science and technology organisations or research and development in industrial and academic institutions or both, out of which at least seven years should be in,
(I) administering, planning, development or coordination of Science and Technology programmes;
(II) experience of evolving, managing and directing major programmes under any branch of Science and Technology;
(III) proven record of policy initiatives for the Science and Technology Sector;
(IV) proven record of leading a team.

(b) Desirable Qualifications:

Post Doctorate research in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or

Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or Doctorate Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences Medicine from a recognised University or Institute.

Note 1: Specific subject shall be indicated in the advertisement at the time of invitation for applications.

Note 2: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience.

Note 3: Period spent on obtaining Doctorate Degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or Institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the Doctorate Degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience.

Note 4: The period spent on pursuing Doctorate Degree shall not count towards experience for any purpose, if the Doctorate Degree has not been awarded.

Note 5: In cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining Doctorate Degree, experience shall be counted only for the employment period and not for the Doctorate Degree.

(B) Recruitment for the post of Scientist 'G' by deputation (including short-term contract). -

Scientists or Technologists of the Central Government or State Governments or Union territories or Central Government or State Government Undertakings or University or Recognised Research Institution or statutory or autonomous organisation,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600/-) or equivalent; and

(b) possessing the essential and desirable qualifications prescribed for direct recruits prescribed under sub-paragraph (A).

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for promotion.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

5. The age-limit for direct recruitment in each category of posts shall be as specified in the following Table, namely :-

Table

Sl. No.	Name of post	Age-limit for direct recruitment (except for departmental candidates) shall not exceed
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'D'	40 years;
2.	Scientist 'E'	45 years;
3.	Scientist 'F'	50 years;
4.	Scientist 'G'	50 years;

Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, and Lakshadweep).

6. Screening and selection process for all posts [applicable for both direct recruitment and on deputation (including short-term contract)]. -

Composition of Committees:

Sr. No.	Posts	Screening-cum-Shortlisting Committee	Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scientist 'D'	<ol style="list-style-type: none"> 1. An officer not below the rank of Scientist 'G' or Joint Secretary to the Government of India - Chairperson; 2. A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in the rank of Scientist 'G' - Member; 3. An officer not below level-14 with administrative background - Member. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlling Authority - Chairperson; 2. Two external experts who shall be officers not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, nominated by the Controlling Authority - Members; 3. Scientist 'G' in Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India - Member.
2.	Scientist 'E'	<ol style="list-style-type: none"> 1. An officer not below the rank of Scientist 'G' or Joint Secretary to the Government of India - Chairperson; 2. A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in the rank of Scientist 'G' - Member; 3. An officer not below level - 14 with administrative background - Member. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlling Authority - Chairperson; 2. Two external experts who shall be officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, nominated by the Controlling Authority - Members; 3. Scientist 'G' in Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India - Member.
3.	Scientist 'F'	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Scientist who shall not be below the rank of Scientist 'G' - Chairperson; 2. A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in the rank of Scientist 'G' - Member; 3. An officer not below level -14 with administrative background, nominated by the Controlling Authority - Member. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlling Authority - Chairperson; 2. Two Secretaries of other Scientific Departments (or their representatives who are not below the rank of Joint Secretary to the Government of India) nominated by the Controlling Authority - Members; 3. Two eminent Scientists not below the rank of Joint Secretary to the Government of India specialised in the field of scientific activity, nominated by the Controlling Authority - Members.
4.	Scientist 'G'	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Scientist who shall not be below the rank of Scientist 'H' - Chairperson; 2. A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in the rank of Scientist 'H' or above - Member; 3. An officer above level-14, nominated by the Controlling Authority - Member. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Principal Scientific Adviser to the Government of India - Chairperson; 2. Controlling Authority - Member; 3. Two Secretaries of other Scientific Departments, nominated by the Controlling Authority - Members; 4. An eminent Scientist not below the rank of Additional Secretary to the Government of India specialised in the field of scientific activity, nominated by the Controlling Authority - Member.

SCHEDULE – II*[See rule 5(2)]***A. Composition of the Internal Screening Committee:**

Sl. No.	Posts.	Composition of Internal Screening Committee.
1.	For promotion from the post of Scientist 'D' to the post of Scientist 'E'	An officer not below the rank of Scientist 'G' or Joint Secretary to the Government of India - Chairperson;
		A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in the rank of Scientist 'G' - Member;
		An officer not below level-14 with administrative background - Member.
2.	For promotion from the post of Scientist 'E' to the post of Scientist 'F'	A Scientist who shall not be below the rank of Scientist 'G' - Chairperson;
		A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in the rank of Scientist 'G' - Member;
		An officer not below level-14 with administrative background, nominated by the Controlling Authority - Member.
3.	For promotion from the post of Scientist 'F' to the post of Scientist 'G'	A Scientist who shall not be below the rank of Scientist 'H' - Chairperson;
		A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in the rank of Scientist 'H' or above - Member;
		An officer not below level-15, nominated by the Controlling Authority - Member.

B. Composition of the Assessment Board:

Sl. No.	Posts.	Composition of Assessment Board.
1.	For promotion to the posts of Scientist 'E'	Controlling Authority - Chairperson;
		Two external experts who shall be officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, nominated by the Controlling Authority - Members;
		Two eminent Scientists specialising in the field of scientific activity, in the rank of Scientist 'F' or above, to be nominated by the Controlling Authority - Members.

C. Composition of the Departmental Peer Review Committee:

Sl. No.	Post.	Composition of Departmental Peer Review Committee
1.	For promotion to the post of Scientist 'F'	Controlling Authority - Chairperson;
		Two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments or their representatives who are at least one level above the post to which promotion or upgradation under Scheme is to be made - Members;

		Two eminent Scientists specializing in the field of scientific activity, in the rank of Scientist 'G' or above, to be nominated by the Controlling Authority - Members;
		Representative of the Department of Personnel and Training in the rank of Joint Secretary to the Government of India - Member.
2.*	For promotion to the post of Scientist 'G'	Principal Scientific Adviser to the Government of India - Chairperson;
		Controlling Authority - Member;
		Two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments - Members;
		Two eminent Scientists specialising in the field of scientific activity, in the rank of Scientist 'H' or above, to be nominated by the Controlling Authority - Members;
		Representative of Department of Personnel and Training in the rank of Additional Secretary to the Government of India - Member.
<p>* Based on assessment parameters and the recommendation by the Internal Screening Committee [rule 5(2)], not more than 10 per cent of the Scientists may be granted relaxation in the residency period by this Departmental Peer Review Committee for all levels, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career.</p>		

[F. No. A-12018/1/2025-ADMN]

Dr. PREETI BANZAL, Scientist 'G'